सर्वोच्च न्यायालय निर्णय – अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकःएफ–10(3)राज–6/2001/7 जयपुर, दिनांक 25/04/2011

निमित्त
जिला कलेक्टर्स (समस्त)

परिपत्र

विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No.1132/2011 @ SLP (C) No.3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28–01–2011 में चरागाह भूमियों/ जोहड पायतन (catchments of a pond/Water Reservoirs) और तालाबों (ponds) की भूमियों में से निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिये दी गयी भूमियो अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के प्रावधान अनुसार जिला कलेक्टर को 4 हैक्टेयर तक चरागाह भूमि कृषि व अन्य प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत से सलाह करके भूवर्गीकरण में परिवर्तन कर आवंटन करने अथवा धारा 92 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अलग (set apart) करने का अधिकार है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 28–01–2011 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चरागाह भूमियों/ जोहड पायतन (catchments of a pond/Water Reservoirs) और तालाबों (ponds) की भूमियों का निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिये आवंटन व नियमन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जावे।

अतः निर्देशानुसार चरागाह भूमियों के आवंटन, नियमन, खनन एवं अन्य प्रयोजनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने आदि के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों/परिपत्रों आदि के अतिक्रमण में चरागाह भूमियों के निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिये आवंटन एवं नियमन पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगायी जाती है। अगर किसी प्रकरण में जनहित में और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चरागाह भूमि का आवंटन किया जाना अत्यावश्यक हो तो जिला कलेक्टर द्वारा कारण अंकित करते हुये अपनी अभिशंषा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जावेगा और राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति मिलने के बाद ही ऐसी भूमि का आवंटन/नियमन किया जा सकेगा।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय/ राजस्व मंत्री महोदय/ राजस्व राज्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3. सम्भागीय आयुक्तगण (समस्त), राजस्थान।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. [illegible]
6. गार्ड पत्रावली।

उप शासन सचिव
25/4/11